

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

पीठारसीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 193/2.020 प्रार्थना पत्र

1. श्री डूंगा, देगा, शंकर पिता हीना जाति कुमठार नि 14मकपुर, तहसील करेड़ा

--प्रार्थी।

बनाम

1. श्री पत्थरगढी राजतान जसिगैठानी जतनदास पिता आयुदात देगा नि 14मकपुर तहसील करेड़ा त अन्य --विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 11/01/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडुवारा पटवार हल्का लाडुवारा नि0 क्षेत्र टांगली में उनके खाता संख्या 203 की आ0नं0 31

कुल बिना 0.1 एकड़ 6.03 बीघा

स्थित है।

स्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी देश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/11/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से गढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की कैंरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों खते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम लाडुवारा पटवार हल्का लाडुवारा भू0अ0नि0 क्षेत्र टांगली में उनके खाता 203 की आ0नं0 31 कुल बिना 0.1 एकड़ 6.03 बीघा

भूमि स्थित है।

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि.0 टांगली को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

--प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर करेड़ा  
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

पे :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर करेड़ा  
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)